

PROF. DIWAKAR SINGH RAJPUT
Professor of Sociology
Dr. H. S. Gour University, Sagar MP
Cell No: 9425171858

Regional Director
Regional Centre, SAGAR
Madhya Pradesh Bhoj (Open)
University, Bhopal :- 07382-264130
Regionalcentresagar1300@gmail.com

Ref No: BHOJ 2020... 269...

Sagar, Dated : 17-12-2020

पाचार्य महोदय,
शासकीय स्वाशारी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर,
जिला-सागर (म.प्र.)

दिखते नवीन महाविद्यालय अध्ययन केन्द्रों के अनुबंध प्रेषित करने बावत।
संदर्भ: अवर सचिव म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्र99/1415/2019/38-3, दिनांक 23.01.2020.
संदर्भ: पत्र क्रमांक/5331/वि.सहा./मप्रभोमुवि/2020, दिनांक 04.08.2020.
संदर्भ: पत्र क्रमांक/5690/वि.सहा./मप्रभोमुवि/2020, दिनांक 27.11.2020

महोदय,
उपरोक्त विषयातर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि कुलसचिव म0प्र0 भोज मुक्त विश्वविद्यालय
भोजल द्वारा आपके शासकीय महाविद्यालयों में नवीन अध्ययन केन्द्र स्थापित की कार्यवाही करने हेतु आपके
महाविद्यालय का पंजीयन प्रपत्र व अनुबंध प्रकिया पूर्ण कर एक प्रति कुलसचिव महोदय के हस्ताक्षर उपरांत
आपको भेजी जा रही है, इस हेतु संबंधि आवश्यक कार्य हेतु पत्र प्रस्तुत है।
सधन्यवाद ।

संलग्न-01- अनुबंध पत्र की मूल प्रति।
02-पंजीयन प्रपत्र बैंक विवरण सहित मूल प्रति।

Signature
17.12.2020
(प्रो दिवाकर सिंह राजपूत)
राष्ट्रीय निदेशक
Prof. D.S. Rajput
Regional Director
M.P. Bhoj Open University
Regional Centre SAGAR (M.P.)

क्रमांक / नामांकन / 1276 / 2020

सागर दिनांक 22/10/2020

प्रति,

क्षेत्रीय निदेशक,
भोज मुक्त विश्वविद्यालय,
क्षेत्रीय केन्द्र, सागर (म.प्र.)

विषय:- शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर के अनुबंध पत्र की प्रतियां प्रेषित करने बावत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक Ref. No. BHOJ/2020/69 सागर दिनांक 14.08.2020


महोदय,


उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर से अनुबंध पत्र की तीन प्रतियां निम्न अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही हैं -

1. शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर में सिर्फ छात्राओं ही अध्ययन व परीक्षा हेतु पंजीकृत हो सकेंगी।
2. महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर प्रत्येक विषय समूह में पंजीकृत छात्राओं की अधिकतम संख्या 100 तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक विषय में अधिकतम छात्राओं की संख्या 50 होगी।
3. महाविद्यालय में स्नातक व स्नातकोत्तर छात्राओं की अधिकतम संख्या 500 होगी। कृपया इस केन्द्र के कार्य सम्पादन हेतु संबंधित नियमावली महाविद्यालय को भेजने का कष्ट करे।
4. महाविद्यालय द्वारा केवल उन्हीं विषयों में अध्यापन की व्यवस्था की जा सकेगी जो विषय/विषय समूह संलग्न सूची के अनुसार महाविद्यालय में संचालित हैं।

संलग्न प्रति -

1. अनुबंध पत्र की तीन मूल प्रतियां
2. पंजीयन प्रपत्र की तीन मूल प्रतियां
3. महाविद्यालय में संचालित स्नातक व स्नातकोत्तर के विषय समूह की सूची


DR. RASHMI DUBEY
PROFESSOR
CENTRE OF SOCIOLOGY
GOVT. GIRLS' COLLEGE
OF EXCELLENCE



(डॉ. बी.डी. अहिरवार)

प्राचार्य

शासकीय स्वशासी कन्या
उत्कृष्टता महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

प्रतिलिपि

1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय सागर (म.प्र.) भोपाल
2. अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा सागर संभाग, सागर
3. कुलसचिव, म.प्र. भोज (मुक्त) वि.वि. भोपाल


(डॉ. बी.डी. अहिरवार)

प्राचार्य

"अनुबंधपत्र"

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम 1991 की धारा (viii) (ix) के प्रावधान के अन्तर्गत परिनियम 11 के परिपालन में यह अनुबंध पत्र मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोलार रोड, भोपाल द्वारा अपने क्षेत्रीय केन्द्र..... के अन्तर्गत नवीन अध्ययन केन्द्र प्रारंभ करने के लिये दोनों पक्षों के मध्य किया जा रहा है।
प्रथम पक्ष: मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

द्वितीय पक्ष: शासकीय (परिशिष्ट 01 के अनुसार)/अशासकीय महाविद्यालय (प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत)

अनुबंध की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. संस्था के प्राचार्य अध्ययन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। प्राचार्य के त्यागपत्र देने या उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति पदस्थ हो जाने पर नये प्राचार्य अध्ययन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। पूर्व प्राचार्य को अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की पात्रता तथा केन्द्राध्यक्ष के रूप में मान्य करने हेतु मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। केन्द्राध्यक्ष अपने स्तर पर अपने सहयोग के लिये एक समन्वयक की नियुक्ति कर सकता है। जो महाविद्यालय में पदस्थ कोई वरिष्ठ प्राध्यापक स्तर का हो।
2. अध्ययन केन्द्र के संचालन के लिये, अध्ययन केन्द्र, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय की ओर निम्नलिखित उन सभी कार्यों को संपादित करेगा जो मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर आवश्यकता एवं परिस्थिति वरा संसूचित किये जायेंगे।
 - (1) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया कर प्रवेश फार्म की प्रथम एवं द्वितीय प्रति सम्पूर्ण अभिलेखों सहित क्रमशः क्षेत्रीय केन्द्र और मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के मुख्यालय में निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हुये प्रवेश फार्म की तृतीय प्रति को अपने अध्ययन केन्द्र में सम्पूर्ण अभिलेख सहित सुरक्षित रखेंगे।
 - (2) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय से प्राप्त अध्ययन सामग्री को विद्यार्थियों में वितरित कर यह सुनिश्चित करना की सभी प्रविष्ट विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो गई। यदि नहीं हुई हो तो शीघ्र प्राप्त करने के लिये प्रयास करने का दायित्व अध्ययन केन्द्र का होगा, ताकि विद्यार्थियों को अध्ययन में किसी प्रकार का अवरोध न हो।
 - (3) शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक विषय के 13 सैद्धांतिक कालखण्डों की तथा जिन विषयों में प्रायोगिक कार्य हो उनकी भी 13 कालखण्डों की प्रायोगिक सम्पर्क कक्षाएँ विश्वविद्यालय के अध्यादेश 60/61 के अनुसार लगाने का दायित्व अध्ययन केन्द्र का होगा। साथ ही इनकी सूचना विश्वविद्यालय सहित संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र व विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - (4) प्रवेशित विद्यार्थियों से सत्रीय उत्तरपुरितकाएँ निर्धारित समय सीमा में जमा करा कर क्षेत्रीय केन्द्र को भिजवाने का दायित्व भी अध्ययन केन्द्र का होगा।

- (5) प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये रैडिकल एवं प्रायोगिक सम्पर्क कक्षाओं तथा संत्रात परीक्षा के दौरान पूर्ण स्वच्छ, हवा, प्रकाश, जल, शौचालय (छात्र-छात्राओं का अलग अलग) एवं अन्य मूलभूत सुविधाएँ जो अध्ययन केन्द्र के लिये आवश्यक हों तो उपलब्ध कराने का दायित्व भी अध्ययन केन्द्र का होगा।
- (6) अध्ययन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष एवं मुख्य स्टाफ सदस्य जैसे रामन्वयक, शिक्षकों, एक लिपिक आदि राशि को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय राशि का भुगतान विश्वविद्यालय के नियमानुसार किया जायेगा।
- (7) अध्ययन केन्द्र विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में प्राप्त नहीं करेगा।
- (8) अध्ययन केन्द्र के लिए आंशिक अधोसंरचना फर्नीचर, कम्प्यूटर इत्यादि में जो व्यय होगा उसकी प्रतिपूर्ति प्रथम पक्ष: विश्वविद्यालय द्वारा की जावेगी।
- (9) महाविद्यालय में कुल पंजीकृत विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क का प्रोराटा के आधार पर 80 प्रतिशत विश्वविद्यालय में तथा 20 प्रतिशत महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के एकाउंट में स्थानांतरित की जायेगी। इस राशि में सम्पर्क कक्षाएँ तथा परीक्षा संचालन शामिल है। जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अध्ययन केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
- (10) जिन महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र स्थानांतरित/स्थापित किये जा रहें हैं उनकी सूची परिशिष्ट 01 में संलग्न है।
- (11) किन्तु यह भी कि किसी महाविद्यालय केन्द्र में विद्यार्थियों का प्रवेश कम संख्या में होता है। तो ऐसी स्थिति में सम्पर्क कक्षाओं एवं परीक्षा संचालन के व्यय की राशि तथा शुल्क अंशदान की अन्तर राशि की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय के द्वारा की जावेगी।
- (12) अध्ययन केन्द्र के अस्तित्व एवं निरंतरता को बनाये रखने के लिये विद्यार्थियों के लिये उचित अध्ययन कक्षाओं, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं को प्रदान करने का दायित्व अध्ययन केन्द्र का होगा।
- (13) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा जो मुक्त शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु समय-समय पर आवश्यक आदेश/निर्देश/शर्तें जारी किये जाएंगे, उनका पालन करना अध्ययन केन्द्र का दायित्व होगा।
- (14) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा गठित दल को अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित समस्त गतिविधियों सहित अभिलेखों एवं परीक्षा आदि के निरीक्षण में सहयोग करना अध्ययन केन्द्र का दायित्व होगा।

निम्नलिखित परिस्थितियों में विश्वविद्यालय को अध्ययन केन्द्र की मान्यता निरस्त करने का अधिकार रहेगा:-


1. अध्ययन केन्द्र मान्यता प्रावधानों के अनुरूप संचालित नहीं किया जा रहा हो।
2. अध्ययन केन्द्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता या असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने पर।

4. अवगत केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेशित विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई ऐसी राशि ली जा रही हो जो अनुबंध की शर्तों में विहित प्रावधानों के विपरीत हो।
4. विश्वविद्यालय के नियमानुसार सम्पूर्ण कक्षाओं का संचालन नहीं किया गया तो मान्यता गिरता।
5. राष्ट्रीय तथ्य तथा सत्रांत परीक्षाओं का संचालन सुचारु रूप से नहीं किया जा रहा हो।
6. विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत विद्यार्थियों को लिये प्रदत्त अध्ययन सामग्री का नियमानुसार विद्यार्थियों में वितरण नहीं किया जा रहा हो।
7. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रदेश के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा हो।
8. अध्ययन केंद्र द्वारा लेखा का संचारण विश्वविद्यालय नियमानुसार नहीं किया जा रहा हो।
9. ऐसी निजी संस्था जो समिति द्वारा संचालित है द्वारा अपनी मूल समिति को बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के अन्य समिति में विलय कर देती है।
10. बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के अध्ययन केंद्र का स्थान परिवर्तन किये जाने पर।

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त भी विश्वविद्यालय यदि किसी विन्दु पर असंतुष्ट है तो मान्यता रद्द कर सकता है किन्तु ऐसे किये जाने के पूर्व संबंधित संस्था को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।


3. इस अनुबंध को तीन मूल प्रतियाँ हस्ताक्षर की जा रही हैं। जिसकी एक प्रति कुलसचिव, मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोलार रोड, भोपाल को दूसरी प्रति द्वितीय पक्षकार, डा. ए. डी. आहिरवार, प्राचार्य, राज्य को एवं तृतीय प्रति क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, ... के अधीन में संचारित की जा रही है जो कि समयानुसार कार्यवाही में उपयोग की जा सकेंगी।
4. इस अनुबंध के प्रत्येक पृष्ठों पर दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किये जा रहे हैं एवं किसी पृष्ठ में कोई काट-छाट नहीं है।
5. अध्ययन केंद्रों के केन्द्राध्यक्ष/उपकेन्द्राध्यक्ष व अन्य नियुक्तियों को दिये जाने वाले नमूने एवं अन्य संबंधित विषयों के निर्णय हेतु परीनियम 11 में दर्शायी गयी समिति अधिकृत होगी।

यह अनुबंध आज दिनांक को दोनों पक्षों की सहमति में पूर्ण होशोहवास्त में एवं गवाहों की उपस्थिति में किया जा रहा है एवं उक्त शर्तों को दोनों पक्षों द्वारा मान्य किया जा रहा है।


 कुलसचिव
 मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय,
 म प्र भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय
 भोपाल

गवाह

1. डा. अंजली बि - 302
2. डा. शैलेश कुमार


 D. S. DUGGAL
 प्राचार्य
 राष्ट्रीय महाविद्यालय
 कोलार रोड, भोपाल

गवाह

1. D. A. Anand Chakrabarti
2. Dr. Anand Bahari

No / / 20

Sagar, Dated / 10 / 2020

**INFORMATION OF SUBJECTS/SUBJECT COMBINATION TAUGHT IN THE
 COLLEGE AT UNDER GRADUATE LEVEL**

Serial Number	Course	Subject/Subject Combination
1	B. A.	Arts
2	B. Com	Commerce
3	B. Com	Commerce with Computer Application
4	B. B. A.	BBA
5	B. C. A.	BCA
6	B. H. Sc.	Home Science
7	B. Sc.	Biotechnology - Botany - Chemistry
8	B. Sc.	Biotechnology - Chemistry - Zoology
9	B. Sc.	Botany - Chemistry - Computer Application
10	B. Sc.	Botany - Chemistry - Industrial Chemistry
11	B. Sc.	Botany - Chemistry - Industrial Microbiology
12	B. Sc.	Botany - Chemistry - Zoology
13	B. Sc.	Botany - Computer Application - Zoology
14	B. Sc.	Botany - Micro Biology - Zoology
15	B. Sc.	Chemistry - Industrial Chemistry - Mathematics
16	B. Sc.	Chemistry - Industrial Chemistry - Physics
17	B. Sc.	Chemistry - Industrial Chemistry - Zoology
18	B. Sc.	Chemistry - Mathematics - Physics
19	B. Sc.	Computer Application - Chemistry - Zoology
20	B. Sc.	Computer Application - Mathematics - Physics
21	B. Sc.	Chemistry - Computer Application - Mathematics
22	B. Sc.	Chemistry - Computer Application - Physics
23	B. Lib. I.Sc.	Library Science

Note 1: - Foundation course is compulsory at UG level except for B.B.A., B.C.A and B.Lib I.Sc. courses.

Note 2: - For B.A. Course - by selecting one subject from the following five subject group student must have to select three subject in all

Subject Group are :-

1. Sociology, Psychology, Hindi
2. Economics, Music
3. Political Science, English, Dance
4. History, Home Science, Computer Application
5. Sanskrit, Geography

20.10.2020
 (Dr. Arvind Bohare)

DR. B. D. AHIRWAR
 PRINCIPAL
 DEPT. OF UNDERGRADUATE
 GOVT. AUTO. GIRLS P.G. COLLEGE
 OF EXCELLENCE
 SAGAR (M.P.)

(Dr. B.D. Ahirwar)
 Principal

Office of the Principal, Govt. Auto. Girls P.G. College of Excellence, Sagar (M.P.)

Reaccredited Grade "A" by NAAC

Phone/Fax - 07582-223573


Email - heggpgcsag@mp.gov.in


No / / 20

Sagar, Dated / 10 / 2020

**INFORMATION OF SUBJECTS TAUGHT IN THE COLLEGE
AT POST GRADUATE LEVEL**

Serial Number	Course	Subject
1	M. A.	Economics
2	M. A.	English
3	M. A.	Geography
4	M. A.	Hindi
5	M. A.	History
6	M. A.	Political Science
7	M. A.	Psychology
8	M. A.	Sociology
9	M. Com.	Commerce
10	M. Sc.	Botany
11	M. Sc.	Chemistry
12	M. Sc.	Physics
13	M. Sc.	Zoology
14	M. Sc. (Home Sci.)	Human Development
15	M. Lib	Library Science


20.10.2020
(Dr. Arvind Bohare)
Admission Incharge


DR. RASHMI DUBEY
PROFESSOR
DEPT. OF SCIENCE
GOVT. AUTO. GIRLS P.G. COLLEGE
OF EXCELLENCE
SAGAR (M.P.)


(Dr. B.D. Ahirwar)
Principal